

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर 2014—भाद्र 11, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्र. एफ 12-32-2013-4-पच्चीस-1.—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खतरनाक तरीके से सैप्टिक टैंक और नालों की सफाई के काम में नियोजित करने अथवा काम में लगाने का प्रतिषेध करती है.

No. F-12-32-2013-4-XXV-1.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the State Government, hereby, prohibits the engagement or employment of the persons either directly or indirectly of hazardous cleaning of sewers and septic tanks.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.